

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नगर विकास अनुभाग-1**  
**संख्या-2027 / 9.1.16- 46टी / 14**  
**लखनऊ : दिनांक 30 जून , 2016**

**अधिसूचना**

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद मऊ का गठन करने हेतु सांक्रांतिक क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-627/9-1-15-46टी/14, दिनांक 11 मार्च, 2015 को जारी और दिनांक 11 मार्च, 2015 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुयी है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येतर, कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ सांक्रांतिक क्षेत्र होगा और उक्त सांक्रांतिक क्षेत्र के लिये एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत, चिरैयाकोट, जनपद मऊ के रूप में जाना जायेगा।

**अनुसूची**

उत्तर गाटा संख्या	ग्राम औसतपुर के 1, 2, 9, 3, 52, 57, 84, 85, 86, 87, 88 ग्राम जमीन कमालुद्दीनपुर के 1, 27, 33 ग्राम मनाजीत के 702, 720, 802, 710, 1118, 112, 1121 1122, 1123, 1124 ग्राम खानपुर के 51, 46, 44, ग्राम मनाजीत के 1130, 1131, ग्राम ताजपुर के 5, 26, 27, 142, 143, 144, 139, 146, 150, 151, 251, 265  ग्राम जमीन काजी हसन के 74, 36
दक्षिण गाटा संख्या	ग्राम आब्दोपुर के 242, 189, 182, 183, 177, 111, 110, 107, 108, 109, 113, 114, 91, 90, 82, 51, 44 ग्राम चिरैयाकोट के 184, 183, 180, 179, 177, 176, 175, 174, 173 ग्राम दोषपुर के 36, 35, 21 ग्राम मोलनागंज के 64, 66 ग्राम राजोचक के 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 50, 49, 48, 36, 35, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26 ग्राम तैयबपुर के 14, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 27, 28 ग्राम मुबारकपुर मु रसुलपुर के 87, 85, 75, 74, 73 ग्राम रसुलपुर के 283, 308, 311, 355, 360, 361, 335, 186, 176
पूरब गाटा संख्या	ग्राम जमीन काजीहसन के 58, 59, 116, 255, 293 ग्राम मानपुर के 16, 41, 85, 87, 117, 121, 123, 114, 104, 103 ग्राम आब्दोपुर के 80, 81, 200, 201, 202, 20, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 228, 235, 233, 239, 241

पश्चिम गाटा संख्या	ग्राम रसूलपुर के 176, 177, 173, 172, 166, 165, 164, 163, 139, 135, 137, 131, 130, 19, 18, 17, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 38, 3, 2, 1 ग्राम जमीन अताउत्ताह के 60, 59, 32, 31, 30, 25, 24, 23, 22, 6 ग्राम कमालचक के 188, 183, 118, 117, 116, 114, 113, 105, 104, 102, 100, 97, 86, 68, 67, 66, 62, 58, 57, 56, 55, 51, 53, 48, 6, 1, 9, 14, ग्राम बगदासी सोहबत बाग के 5, 3, 2 ग्राम कमालुद्दीनपुर के 165, 76, 89 ग्राम बानोचक के 92, 93, 94, 96, 37, 32, 33, 48, 59, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ग्राम अड़ताचक के 93, 92, 91 ग्राम औसतपुर के 399, 349, 347, 307, 293, 292, 291, 290, 289, 286, 285, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9
--------------------------	--

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव

संख्या-२०२७(१)/९-१-२०१६ तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक ३० जून, २०१६ के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-४ खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी ५०-५०प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या-२०२७(२)/९.१.२०१६ तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (१) आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ ।
- (२) जिलाधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (३) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (४) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ ।
- (५) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ ।
- (६) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ ।
- (७) निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ ।
- (८) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
(बिहारी लाल काने)  
अनु सचिव।